


# रामकथा के पंडाल में भड़की आग, 15 मिनट में पाया काबू

## बिजली के तारों में स्पार्किंग से पर्दों तक पहुंचीं लपटें, कथा शुरू होने से पहले मचा हड़कंप, मुस्तैदी से टला बड़ा हादसा

**नवभारत न्यूज**

**शिवपुरी 25 अक्टूबर।** बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की श्रीराम कथा शुरू होने से ठीक पहले रविवार दोपहर पंडाल के ऊपरी हिस्से में अचानक आग भड़क उठी। करीब 3:10 बजे डोम के ऊपर उठती लपटें देखकर आयोजन स्थल पर मौजूद लोगों की नजरें उधर टिक गईं। उस समय पंडाल में सैकड़ों श्रद्धालु कथा शुरू होने और महाराज के आगमन का इंतजार कर रहे थे। गनीमत रही कि मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों और सुरक्षाकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए आग पर काबू पा लिया। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।



प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, बिजली के तारों में स्पार्किंग होने से सजावट में लगे पर्दों ने आग पकड़ ली। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने तत्काल मोर्चा संभाला। सीढ़ी लगाकर फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से आग बुझाने का प्रयास शुरू किया गया और करीब 15 मिनट में लपटों पर काबू पा लिया गया। समय रहते कार्रवाई होने से बड़ा हादसा टल गया और पंडाल में भगदड़ जैसी स्थिति नहीं बनी। हालांकि, आग लगने के वास्तविक कारणों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

### 26 बीघा में विशाल डोम, सुरक्षा में 1200 से अधिक जवान

करैरा के बगीचा धाम स्थित श्रीराम राजा सरकार धाम में 24 से 30 अक्टूबर तक श्रीराम कथा आयोजित की जा रही है। विशाल आयोजन के लिए करीब 26 बीघा जमीन पर डोम तैयार किया गया है, जिसमें लगभग दो लाख श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था बताई गई है। वहीं, भक्तों के भोजन के लिए आठ बीघा जमीन पर अलग से भोजनशाला बनाई गई है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस-प्रशासन ने 1200 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की है। आग की घटना के दौरान जवानों की त्वरित कार्रवाई से स्थिति संभल गई। घटना ने इतने बड़े धार्मिक आयोजन में बिजली व्यवस्था, सजावटी सामग्री और अग्नि सुरक्षा इंतजामों की सतत निगरानी की अहमियत भी उजागर कर दी।

# आधुनिक कृषि यंत्रों से होगा फसल अवशेषों का प्रबंधन

**नवभारत न्यूज**

**शिवपुरी 25 अक्टूबर।** खेतों में नरवाई जलाकर मिट्टी की उर्वरता को नुकसान पहुंचाने के बजाय आधुनिक कृषि यंत्रों से फसल अवशेषों का प्रबंधन कर किसान अपनी जमीन की ताकत बढ़ा सकते हैं। इसी उद्देश्य से कृषि विज्ञान केंद्र शिवपुरी द्वारा आयोजित पांच दिवसीय कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम के चौथे दिन किसानों को कृषि अभियांत्रिकी विभाग का भ्रमण कराकर उन्नत कृषि तकनीकों की व्यावहारिक जानकारी दी गई।




कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के निर्देशानुसार 21 से 25 अक्टूबर तक आयोजित फसल अवशेष प्रबंधन एवं संरक्षित खेती तकनीक प्रशिक्षण में किसानों को नरवाई नहीं जलाने और टिकाऊ कृषि पद्धतियां अपनाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। भ्रमण के दौरान सहायक कृषि यंत्री डॉ. भगवान सिंह नरवरिया एवं डॉ. एम.के. भार्गव ने किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों की मदद से फसल अवशेषों का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन करने की तकनीक समझाई। साथ ही जिले में संचालित कस्टम हायरिंग सेवाओं और शासन की विभिन्न लाभकारी योजनाओं की जानकारी भी दी। कृषि विज्ञान केंद्र शिवपुरी के प्रमुख डॉ. पुनीत कुमार ने जिले की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप उपयुक्त फसल चक्र अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि कस्टम हायरिंग केंद्रों के माध्यम से किसान आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग कर कम लागत में बेहतर कृषि प्रबंधन कर सकते हैं। विशेषज्ञों ने बताया कि नरवाई जलाने से मिट्टी के पोषक तत्वों और मित्र कीटों को नुकसान पहुंचता है, जबकि फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में सहायक है। प्रशासन ने किसानों से नरवाई जलाने की प्रथा छोड़कर पर्यावरण संरक्षण और भूमि की उपजाऊ शक्ति बनाए रखने वाली आधुनिक तकनीकें अपनाने की अपील की।

# कर्ज नहीं चुकाया तो शस्त्र लाइसेंस पर गिरेगी गाज, कोलारस के 33 बकायादारों को नोटिस

**नवभारत न्यूज**

**शिवपुरी 25 अक्टूबर।** सहकारी बैंक से कर्ज लेकर समय पर अदायगी नहीं करने वाले शस्त्रधारी बकायादारों पर जिला प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित शिवपुरी की कोलारस शाखा के ऐसे 33 डिफॉल्टरों को कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने नोटिस जारी किए हैं। बकायादारों को सात दिन के भीतर ऋण और ब्याज की राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है। निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं होने पर शस्त्र लाइसेंस निलंबित अथवा निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

**इन बकायादारों पर है राशि बकाया :** संस्था कोलारस के अंतर्गत जगदीश सिंह धाकड़ (मोहराई) पर 75,697 रुपये, श्रीलाल धाकड़ (मोहराई) पर 93,433 रुपये, महेंद्र सिंह यादव (मोहराई) पर 52,774 रुपये, रामअवतार (उकावल) पर 5,820 रुपये और लक्ष्मण सिंह यादव (बडैरा) पर 12,582 रुपये बकाया हैं। संस्था भड़ौता के रामजीलाल (चंदौरिया) पर 30,030 रुपये, विरसासिंह (बैरसिया) पर 98,576 रुपये, राजाराम (रामपुर) पर 2,54,978 रुपये, मक्खनसिंह (डोंगरपुर) पर 51,719 रुपये और लक्ष्मण कुशवाह (चंदौरिया) पर 90,997 रुपये बकाया हैं। संस्था

### कलेक्टर की सख्ती, सात दिन में ऋण जमा करने की मोहलत, भुगतान नहीं किया तो लाइसेंस निलंबन या निरस्तीकरण की कार्रवाई

वैहटा के भूपतसिंह रावत (वेंहटा) पर 21,988 रुपये, श्रीनिवास रावत (वेंहटा) पर 1,23,683 रुपये, भरतसिंह रावत (सेसई) पर 70,187 रुपये और शिशुपाल रावत (सेसई) पर 98,687 रुपये बकाया हैं। संस्था राई के भूपतसिंह गुर्जर (पिछोर) पर 1,84,198 रुपये, गोवर्धन यादव (मानपुर) पर 1,68,081 रुपये, शिशुपाल सिंह (गणेशखेड़ा) पर 55,788 रुपये, अवतार गुर्जर (पिछोर) पर 43,048 रुपये, अच्चुतसिंह जादौन (बैडारी) पर 99,114 रुपये, अनिल सिंह जादौन (बैडारी) पर 1,30,734 रुपये, बृजभानसिंह यादव (मानपुर) पर 1,24,681 रुपये, जयपालसिंह (मानपुर) पर 89,364 रुपये और कमलसिंह (मानपुर) पर 1,90,910 रुपये बकाया हैं। संस्था कुलवारा के शेरसिंह पर 1,76,748 रुपये और अमरीक पर 2,04,201 रुपये बकाया हैं। वहीं, संस्था खरई के रामहेत (तेंदुआ) पर 42,226 रुपये, ज्ञानी (दीघोदी) पर 28,618 रुपये, शम्भूसिंह (पाड़ौदा) पर 23,549 रुपये, जसरथसिंह (पाड़ौदा) पर 12,586 रुपये, फेरनसिंह (पाली) पर 93,834 रुपये, घनश्यामसिंह (पाड़ौदा) पर 25,314 रुपये, अशोक शर्मा (कूढ़ा) पर 55,252 रुपये और दौले (पाली) पर 17,610 रुपये बकाया हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय में बकाया राशि जमा नहीं करने वालों के शस्त्र लाइसेंस के संबंध में नियमानुसार निलंबन अथवा निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।

# धुमाई में काली गिट्टी के पत्थरों का अवैध उत्खनन, पोकलेन मशीन जब्त

## एसडीएम के नेतृत्व में प्रशासन-माइनिंग विभाग की कार्रवाई, पुलिस के सुपुर्द की मशीन, अब कलेक्टर न्यायालय में पहुंचेगा मामला

**नवभारत न्यूज**

**शिवपुरी 25 अक्टूबर।** जिले में खनिज संपदा के अवैध दोहन पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए बदरवास क्षेत्र के धुमाई गांव के पास से एक पोकलेन मशीन जब्त की है। यहां काली गिट्टी बनाने में इस्तेमाल होने वाले पत्थरों की खुदाई की जा रही थी। शनिवार शाम हुई कार्रवाई के बाद मशीन को बदरवास थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। खनन स्थल की नाप-जोख कर प्रकरण तैयार किया गया है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए कलेक्टर न्यायालय भेजा जाएगा।

जानकारी के अनुसार, धामनटूक पंचायत के धुमाई गांव के नजदीक अवैध उत्खनन की सूचना प्रशासन को मिली थी। इसके बाद बदरवास एसडीएम शिवदयाल धाकड़, तहसीलदार सचिन भार्गव और खनिज विभाग की टीम मौके पर पहुंची। जांच के दौरान पोकलेन मशीन से पत्थरों की खुदाई होते पाए जाने पर टीम ने मशीन जब्त कर ली और पुलिस को सौंप दिया। धुमाई गांव से कुछ




दूरी पर स्थित बामौर गांव में देवराज क्रेशर की खनन लीज बताई गई है। मौके पर जब्त पोकलेन मशीन को क्रेशर संचालकों का बताया जा रहा है। हालांकि, मशीन के स्वामित्व और कथित अवैध उत्खनन से संबंधित जिम्मेदारी का अंतिम निर्धारण जांच एवं आधिकारिक अभिलेखों के आधार पर ही होगा।

कार्रवाई के दौरान खनिज विभाग की टीम ने मौके पर हुई खुदाई की नाप-जोख कर आवश्यक प्रकरण तैयार किया है। अब इसे कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा, जहां उपलब्ध तथ्यों और नियमानुसार आगे की कार्रवाई तय होगी।

# मध्यस्थता से सुलझा वैवाहिक विवाद

**मुलताई।** वैवाहिक विवादों के समाधान में मध्यस्थता की प्रभावी भूमिका रहती है।प्रथम अपर जिला न्यायाधीश मुलताई ने तलाक के एक मामले में 6 माह के कुलिंग पीरियड को माफ कर पति-पत्नी की आपसी सहमति से विवादों को समाप्त कर तलाक की याचिका स्वीकार की। प्राप्त जानकारी के अनुसार, विवाह के लगभग एक माह बाद ही पति-पत्नी के बीच अनबन शुरू हो गई थी। समय के साथ मतभेद बढ़े और दोनों तीन वर्ष से अधिक समय से अलग रह रहे थे। इस दौरान पत्नी की ओर से दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा एवं भरण-पोषण संबंधी प्रकरण भी प्रस्तुत किए गए थे। पति की ओर से पूर्व में तलाक की याचिका दायर की गई थी, जिसे बाद में वापस ले लिया गया था। प्रकरण में अधिवक्ता राजेंद्र उपाध्याय एवं रमेश सूर्यवंशी के प्रयासों से मध्यस्थता केंद्र, मुलताई में दोनों पक्षों के बीच संवाद और सुलह की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। मध्यस्थता के दौरान पति-पत्नी को अपने मतभेदों, अपेक्षाओं और भविष्य से जुड़े पहलुओं पर विचार करने का अवसर मिला। बातचीत के परिणामस्वरूप दोनों पक्षों ने भरण-पोषण, घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना सहित अपने बीच लंबित विवादों का आपसी सहमति से समाधान कर लिया और वैवाहिक संबंध को आगे जारी न रखने के निर्णय पर सहमत हुए।

## खाता खोलने के नाम पर बीमा कराने का दबाव

**पोहरी 25 अक्टूबर।** पोहरी की एक बैंक शाखा एक बार फिर ग्राहकों की शिकायतों को लेकर सवालों के घेरे में है। बैंक में बचत खाता खुलवाने से लेकर पेंशन संबंधी समस्याओं और कर्मचारियों के व्यवहार तक, कई मामलों में ग्राहकों ने परेशानी का आरोप लगाया है। किसी ने खाता खुलवाने के दौरान बीमा कराने के लिए दबाव बनाने की शिकायत की है, तो किसी ने बैंक में तैनात गार्ड को नकदी निकासी के बाद 100 रुपये देने का आरोप लगाया है।

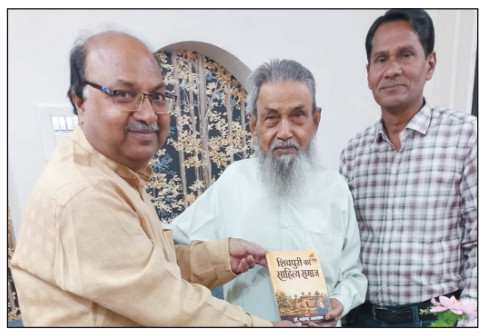
बैंक की कार्यप्रणाली को लेकर पेंशनधारकों की परेशानी का मामला भी सामने आया है। पोहरी निवासी गोपाल शर्मा के अनुसार, बैंक में उनके साथ कथित तौर पर अभद्र व्यवहार किया गया। लगातार सामने आ रही शिकायतों ने पोहरी शाखा की कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

# 'शिवपुरी का साहित्य समाज' की प्रथम प्रति युसुफ अहमद कुरेशी को भेंट

**नवभारत न्यूज**

**शिवपुरी 25 अक्टूबर।** 'शिवपुरी का साहित्य समाज' पुस्तक स्थानीय साहित्यिक विरासत का महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसमें शिवपुरी जिले की साहित्यिक परंपरा को संकलित करने और स्थानीय साहित्यकारों के योगदान को सामने लाने का सार्थक प्रयास किया गया है। यह बात युसुफ अहमद कुरेशी ने नई प्रकाशन के संपादक-प्रबंधक डॉ. महेंद्र अग्रवाल एवं अखलाक खान द्वारा उनके निवास पर पुस्तक की प्रथम प्रति भेंट किए जाने के अवसर पर कही।

इस अवसर पर डॉ. महेंद्र अग्रवाल ने बताया कि युसुफ अहमद कुरेशी स्वयं कवि या शायर नहीं हैं, लेकिन वे स्थानीय साहित्यिक गतिविधियों के संरक्षक और सूत्रधार रहे हैं। उनके साहित्यिक योगदान और साहित्य के प्रति समर्पण को ध्यान में रखते हुए प्रकाशन की ओर से यह कृति उन्हें समर्पित की गई




है। पुस्तक में साहित्यकारों के योगदान को अलग-अलग खंडों में प्रस्तुत किया गया है। 'विरासत' खंड में दिवंगत साहित्यकार घासीराम जैन 'चंद्रकवि', डॉ. राधेश्याम द्विवेदी, प्रो. रामकुमार चतुर्वेदी 'चंचल', डॉ. परशुराम शुक्ल 'विरही', प्रो. विद्यानंदन राजीव, डॉ. लखनलाल खरे और अखिल बंसल सहित अन्य साहित्यकारों का पुण्य स्मरण किया गया है। वहीं, 'रोशनी' खंड में हरिश्चंद्र भार्गव, डॉ. निसार अहमद, विनय प्रकाश 'नीरव', रफीक इशरत और बसंत श्रीवास्तव सहित अन्य रचनाकारों को स्थान दिया गया है। इसके अलावा 'उड़ान' खंड में वर्ष 1980 के बाद की पीढ़ी के रचनाकारों में निर्मल हरी, अजय जैन 'अविराम', मृदुला नामदेव, उर्वशी शर्मा और सुभाष पाठक 'जिया' सहित अन्य साहित्यकारों की रचनात्मक यात्रा और योगदान को समाहित किया गया है। यह पुस्तक शिवपुरी की साहित्यिक परंपरा, साहित्यकारों के रचनात्मक योगदान और स्थानीय साहित्यिक गतिविधियों के इतिहास को संजोने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

# नो एंट्री में दौड़ते ईंटों से भरे ट्रक से गिरा मजदूर, पहिए के नीचे आया पैर

**नवभारत न्यूज**

**शिवपुरी 25 अक्टूबर।** शहर में नो एंट्री के दौरान भारी वाहनों की आवाजाही एक बार फिर हादसे की वजह बन गई। रविवार को फतेहपुर पुलिस चौकी के तिराहे पर ईंटों से भरे ट्रक पर चढ़ने की कोशिश कर रहा मजदूर अचानक नीचे गिर पड़ा। इसी दौरान ट्रक का पहिया उसके पैर पर चढ़ गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद घायल को पहले जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से हालत गंभीर

### फतेहपुर पुलिस चौकी के तिराहे पर हादसा, राजेंद्र आदिवासी गंभीर, जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज रैफर

होने पर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।

जानकारी के अनुसार, ट्रक क्रमांक यूपी 78 डीएच 1927 ईंटें लेकर थीम रोड स्थित फॉरेस्ट चौकी की ओर से फतेहपुर जाने वाले मार्ग से शहर में दाखिल हुआ था। फतेहपुर पुलिस चौकी के तिराहे पर गौशाला निवासी मजदूर राजेंद्र आदिवासी ने ट्रक पर चढ़ने का प्रयास किया। इसी दौरान उसका हाथ छूट गया और वह सड़क पर गिर पड़ा। ट्रक का पहिया उसके पैर को कुचलता हुआ निकल गया। घटना के तुरंत बाद घायल को ऑटो की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया।



चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। बताया गया है कि राजेंद्र ईंट उतारने का काम करता है।

## नो एंट्री व्यवस्था पर उठे सवाल

नो एंट्री के दौरान शहर में भारी वाहन के प्रवेश से यातायात सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। फतेहपुर पुलिस चौकी के सामने हुई इस घटना ने निगरानी व्यवस्था की प्रभावशीलता पर सवाल उठाए हैं। व्यस्त मार्गों पर भारी वाहनों की आवाजाही रोकने और यातायात नियमों का सख्ती से पालन कराने की जरूरत फिर सामने आई है।

# कोटवारों के कार्य बहिष्कार का संघ ने किया खंडन

**बैतूल।** मध्यप्रदेश ग्राम रक्षक कोटवार चौकीदार संघ की जिला शाखा बैतूल ने कोटवारों द्वारा शासकीय कार्यों के बहिष्कार संबंधी खबरों का खंडन किया है। संघ ने 23 अक्टूबर को कलेक्टर बैतूल को ज्ञापन सौंपकर स्पष्ट किया कि संगठन ने शासकीय कार्यों से विरत रहने या असहयोग करने की कोई अपील नहीं की है। कोटवार अपने निर्धारित शासकीय दायित्वों का निर्वहन करते रहेंगे और जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग करेंगे। संघ के प्रदेश महामंत्री ऋषि सोमकुवर एवं जिला सचिव लोकेश पाटिल, जिला अध्यक्ष रामदास गुजरे ने ज्ञापन में कहा कि किसी अन्य संगठन, संस्था या व्यक्ति के बयान को संघ का आधिकारिक निर्णय नहीं माना जाए। कोटवार अपने निर्धारित कर्तव्यों, लागू नियमों और सक्षम अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार कार्य करेंगे। संघ ने कोटवारों की लंबित समस्याओं, मानदेय और सेवागत कठिनाइयों का समाधान करने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया कि इन समस्याओं के निराकरण के लिए प्रशासन और संघ के प्रतिनिधियों के बीच नियमित संवाद होना चाहिए।

## स्टेट लेवल बज़र राऊण्ड में शामिल होंगे गीत

**बैतूल।** यूसीमास मध्यप्रदेश द्वारा आयोजित फ्लैश प्रतियोगिता का बजर राऊण्ड 25 अक्टूबर 2026 को सॉफ्टविजन कॉलेज, इंदौर में आयोजित होने जा रहा है। प्रतियोगिता में मध्यप्रदेश के अलग-अलग जिलों से यूसीमास कोर्स में अध्यनरत 5 से 13 आयु वर्ग के लगभग 143 प्रतियोगी भाग लेने जा रहे है । सभी चयनित प्रतियोगी पहले ऑनलाईन दो राऊण्ड जीतकर इस प्रतियोगिता में शामिल होने जा रहे है । प्रतियोगिता में बड़े स्क्रीन पर अंकगणित के सवाल जोडना, घटाना, गुणा, भाग देना जैसे जटिल सवाल दिखाकर सबसे पहले उत्तर देने वाले प्रतियोगी को अपना बज़र दबाकर उत्तर देना होगा । बैतूल ग्रोवेल अबेकस एकेडमी के कुल 140 प्रतियोगियों में जीत दर्ज कराकर चयनित हुए 3 प्रतियोगियों में गीत सलूजा, रचित नागले एवं आरवी सिलूकार इस प्रतियोगिता में शामिल होने जा रहे है।

# दक्षिता के आलराउंड प्रदर्शन से ग्वालियर ने सागर को दी करारी शिकस्त

**नवभारत न्यूज**

**शिवपुरी 25 अक्टूबर।** शहर में जारी 70वी राज्य स्तरीय बालिका क्रिकेट व बालक-बालिका नेटबाल प्रतियोगिता के लीग मुकाबले रोमांच से भरपूर हो रहे हैं। कहीं नजदीकी मुकाबलों में जीत हासिल हो रही है तो कहीं प्रतिद्वंदी टीम इस कदर हावी हो रही है कि, दूसरी टीम को मैच में बने रहने तक का अवसर नहीं दे रही। रविवार को भी क्रिकेट व नेटबाल के करीब दर्जन भर मुकाबले जिला क्रीड़ा अधिकारी चंद्रशेखर बेमटे, नेशनल कोच यादवेंद्र चौधरी, पूर्व क्रीड़ा अधिकारी महेंद्र सिंह तोमर, अजय बाथम, मनोज गुप्ता सहित अन्य समिति सदस्यों के निर्देशन व स्टेट आफीशियल के मार्गदर्शन में आयोजित हुए। क्रिकेट मे मेजबान ग्वालियर का शानदार प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रहा। पिछले मैच में शानदार प्रदर्शन करने वाली दक्षिता यादव ने रविवार को सागर के खिलाफ भी अपना आल राउंडर प्रदर्शन कर टीम को जीत दिलाई। ग्वालियर की टीम ने टास जीत कर पहले गेंदबाजी चुनी, मैदान पर बल्लेबाजी करने उतरी सागर की टीम 12 ओवर में महज 56 रन बना सकी।

### नेटबाल में भी ग्वालियर के बेटे व बेटियों ने सागर को एकतरफ हराया

ग्वालियर की दक्षिता ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सागर के पांच खिलाड़ियों को पवेलियन लौटाया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी ग्वालियर की टीम ने महज 10 ओवर में एक विकेट खोकर जीत हासिल कर ली। यहां भी दक्षिता ने सर्वाधिक 30 रन बनाए। उन्हें प्लेयर आफ द मैच चुना गया।



**भोपाल ने रीवा को सौ रन से हराया :** मैदान क्रमांक-1 पर ही प्रभारी अजय बाथम के निर्देशन में रीवा-भोपाल के बीच मैच खेला गया, इसमें रीवा ने टास जीत कर गेंदबाजी चुनी। भोपाल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए, आर्या नायक के नाबाद 93 रनों के योगदान से 145 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। जबाव में रीवा की टीम निर्धारित ओवर में 45 रन ही बना सकी। इस तरह भोपाल ने 100 रन से यह मैच जीत लिया। मैंच में अम्पायरिंग शोएब खान व सुजीत करोसिया ने की जबकि स्कोरर सौरभ चंदेल रहे। इधर मैदान क्रमांक-2 पर प्रभारी मनोज गुप्ता के निर्देशन में दो मुकाबले आयोजित किए गए जहां इंदौर ने जबलपुर को हराया। इंदौर की टीम ने 79 रन बनाए जबकि जबलपुर की टीम निर्धारित ओवर में 63 रन ही बना सकी। इस तरह इंदौर ने 16 रन से मैच जीत लिया। अम्पायरिंग कपिल यादव व आकाश यादव ने की जबकि स्कोरिंग प्रज्ञा तोमर ने की। इसी मैदान पर दूसरा मुकाबला नर्मदापुरम व जनजातीय कार्य विभाग के बीच खेला गया। यहां नर्मदापुरम ने छह विकेट पर 96 रन बनाए। जबाब में जनजातीय विभाग की टीम 70 रन ही बना सकी और नर्मदापुरम ने 26 रन से मैच जीत लिया। अम्पायरिंग अभिषेक सेन व कपिल भारद्वाज ने की, जबकि स्कोरर गिर्राज शर्मा थे।

### नेटबाल में फिर ग्वालियर का दबदबा

प्रतियोगित के प्रचार प्रसार प्रभारी नीरज सरैया ने बताया कि रविवार को नेटबाल बालक वर्ग के तीन लीग मुकाबले खेले गए। रीवा ने उज्जैन को 20-12 से हराया, जबकि इंदौर ने जबलपुर पर 22-06 के लंबे अंतर से जीत हासिल की। इधर मेजबान ग्वालियर की टीम सागर के विरूद्ध पूरे मैच में हावी रही। ग्वालियर ने सागर के पांच गोल के मुकाबले 31 गोल दाग कर एक तरफा जीत हासिल की। रविवार को बालिका वर्ग नेट बाल में उज्जैन ने जबलपुर को 10-07 से जबकि जनजातीय कार्य विभाग को रीवा ने 27-06 से हराया। मेजबान ग्वालियर की बेटियों ने भी बेटों की तरह सागर को जबरदस्त पटकनी दी। उन्होंने 19-03 से सागर को हराया। वहीं भोपाल ने जबलपुर को 24-3 हराया। मैच के रेफरी अब्दुल लतीफ, संदीप टंडन, तेजू व योगेश रहे, जबकि स्कोरिंग राजू जाट, संस्कार मिश्रा, धीरज, विपिन, प्रेमसिंह व कुणाल द्वारा की गई।

**उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर**
**प्रत्यर्थी को अपील की सूचना (नोटिस)**

By- PUBLICATION
Respondent No. 2 (iv)
Fixed for 25-11-2026

(अधिनियम क्रमांक 5, सन् 1908 का आदेश इकतालिस, नियम 14)
अपील क्रमांक FA/199/2017

Process Id: 49990/2026 ADMISSION

SHRIBAI and others .....अपीलार्थी
RANJEET SINGH and others प्रत्यर्थी

सन् 2017 के RCA क्रमांक 13 सन् 2015 में न्यायालय II Additional District Judge, SHRI G.C. SHARMA, Ashoknagar (Madhya Pradesh) की डिक्री/आदेश, दिनांक 06-07-2017 के विरुद्ध अपील।

प्रति,
Smt. Shakuntla D/o Late Shri Feran Singh W/o Shri Maharaj Singh Kushwah, R/o Village Parasari Jagir, Tehsil Kolaras, District- Shivpuri, Madhya Pradesh
**प्रत्यर्थी**

**अपील की सुनवाई का दिनांक** कृपया सूचित करें कि ऊपर वर्णित अपील श्री **Appellant** द्वारा प्रस्तुत की गई और इस न्यायालय में पंजीयित की गई है तथा इस न्यायालय द्वारा अपील की सुनवाई का दिनांक 25-11-2026 नियत की गई है। आपत्तियां, प्रति आपत्तियां, यदि कोई हो, इस सूचना (नोटिस) के प्राप्त होने के दिनांक से एक महीने के भीतर फाइल की जानी चाहिए।

**कागजात तथा दस्तावेज फाइल करने का दिनांक** कृपया इस बात से भी सूचित हो कि आपसे यह भी अपेक्षित है कि आप दिनांक 25-11-2026 को या उससे पहले ऐसे कागजात और दस्तावेजों की, जो आप कागजातों की दिनांक की पुस्तक में शामिल करना चाहते हैं, एक सूची अपने स्वयं के खर्च से तैयार करके इस न्यायालय में परिदत्त करें।।

सूची में ऐसे कागजात और दस्तावेजों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है जिन्हें इस न्यायालय के नियमों के अधीन शामिल किये जाने की बाध्यता है।

सूची निम्नलिखित फार्म में होना चाहिये :-

| कागज का विवरण (दिनांक सुभेदक चिह्न तथा पृष्ठ संख्या) (1) | पूरा शामिल किया जाना है या उसका एक भाग शामिल किया जाना है (यदि कोई एक भाग शामिल किया जाना हो, तो पंक्तियों आदि का उद्धरण देते हुए स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट करें) (2) | कागजात की पुस्तक का पृष्ठ (कार्यालय में भरा जाय) (3) |
|---|---|---|

यदि आप कागजात की पुस्तक में कोई कागज शामिल नहीं करना चाहते हों, तो यह अपेक्षित है कि आप उक्त दिनांक 25-11-2026 को या उसके पहले एक रिक्त सूची फाइल करें। आपको अपील की सुनवाई के लिए नियत दिनांक को तैयार रहना चाहिए, किन्तु यदि न्यायालय के काम-काज के कारण अपील उस दिनांक को न्यायालय में न सुनी जा सके तो वह उसके बाद यथासाध्य शीघ्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। यदि आपकी ओर से आप स्वयं, आपका वकील या इस अपील के संबंध में आपके लिए कार्य करने के लिये विधिवत् प्राधिकृत कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं हुआ, तो अपील आपकी अनुपस्थिति में सुनी जायेगी और निर्णय दिया जायेगा। अपील से संयत निचले न्यायालयों में अभिलेख इस न्यायालय में प्राप्त हो गए हैं और निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं। आज दिनांक..... को मेरे हस्ताक्षर और उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर की मुहर से दिया गया

मुहर

**Senior Judicial Assistant**
**High Court Bench Gwalior**